

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )**

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव ( आर. ए. एस. )  
राजस्व प्रकरण संख्या :- 124/2023

**उनवान**


भैरू पुत्र गुलाब जाति नट निवासी ग्राम मंडियानी, नसीराबाद

— वादी :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

**बनाम**

1. किशन,
2. बंशी,
3. रतन,
4. शंकर पुत्र मिश्री,
5. पारसी पत्नि सोहन,
6. ललिता पुत्री सोहन,
7. सुमित्रा पत्नि कालू,
8. अक्षय पुत्र कालू,
9. समीर पुत्र कालू जाति नट समस्त निवासी मंडियानी तहसील नसीराबाद,
10. दी मैनेजर स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा नसीराबाद,
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

— प्रतिवादीगण :- 1 से 10 अनुपस्थित  
11 जरियें राज० पैरोकार



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज० काश्त० अधि० 1955

—: निर्णय :-

दिनांक :- 1.4.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मंडियानी के खाता संख्या 213/227 खसरा नम्बर 180/2231 रकबा 1.21 की आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की है। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण का अलग-अलग हिस्सा निहित है। खातेदार कालू की मृत्यु हो गयी है जिसे वारिस प्रतिवादी संख्या 7 से 9 है। उक्त आराजी का आज दिनांक तक विभाजन नहीं हुआ है जिस कारण प्रतिवादी उक्त आराजी पर दखलंदाजी कर रहे हैं। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमामादा है

*(Signature)*

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद ( अजमेर )

आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 प्रकरण में अनपस्थित रहे।

अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की है व वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में खातेदारी उद्घोषणा नहीं चाही गयी है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने के कारण जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में कोई खण्डन पेश नहीं होने से तनकी कायम नहीं की गयी।

अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण के नाम सह खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे हैं। राज0 पैरोकार ने जवाब नहीं पेश किया है। वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा है। आराजी मुतनाजा के विभाजन से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पेश कर सकते हैं। वादी विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

अतः ग्राम व प0 म0 मण्डियानी के खाता संख्या 213/227 खसरा नम्बर 180/2231 रकबा 1.21 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादी व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद



प्राथमिक डिक्ली व मुकदमें इक्ली  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भैरु बनाम किशन

दावा बावत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 124/2023

पेश करने की दिनांक - 28.07.23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई अभिभाषक राज० पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्ली दी जाती है कि :-

ग्राम व प० म० मण्डियानी के खाता संख्या 213/227 खसरा नम्बर 180/2231 रकबा 1.21 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादी व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

वअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक ०१ माह ०५ सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
बावत इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
बावत इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

